न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 07/2025(GCMS : 2025/11)

पीरामल केपीटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एक पंजीकृत कम्पनी (पंजीकृत अन्तर्गत कम्पनीज एक्ट, 1956) पंजीकृत कार्यालय – वार्उन हाऊस, द्वितीय तल, सर पी.एम. रोड़, फर्स्ट, मुम्बई–400001 तथा शाखा कार्यलय –302/5, तृतीय तल, जयपुर टावर, एम.आई. रोड़, जयपुर राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री पुनीत बोहरा

<u>बनाम</u>

1. **श्री कृष्ण बारासा** पुत्र श्री सत्यनारायण पता वार्ड नं. 18, वाल्मीकी मोहल्लां, सादुलशहर, श्रीगंगानगर
   ऑफिस पता : पी.एन.बी. बैंक के पीछे, पंचायत समिति के पास, श्रीगंगानगर
   सम्पत्ति पता : वार्ड नं. 18, वाल्मीकी बस्ती, सादुलशहर, श्रीगंगानगर राजस्थान
2. **श्रीमती कुसुम** पत्नी श्री कृष्ण बारासा, पता– वार्ड नं. 18, वाल्मीकी मोहल्लां, सादुलशहर, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>05.02.2025</u>

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता सुश्री किरण कुमारी ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 09.01.2025 प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थी कृष्ण बारासा एवं कुसुम को ऋण सुविधा के रूप में 14,58,426/– रूपये ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 15.05.2024 को 14,98,782/– रूपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी कृष्ण [illegible] द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति वार्ड नम्बर 18, वालि[illegible] तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर–335062** का भौतिक [illegible] प्रार्थी बैंक को पुलिस [illegible] सहायता से दिलाये जाने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:43:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण कृष्ण बारासा एवं कुसुम** को ऋण सुविधा के रूप में 14,58,426/— रूपये **(अखरे रूपये चौदह लाख अठावन हजार चार सौ छब्बीस रूपये मात्र) (दिनांक 01.01.2023 को 6.35/— लाख रूपये एवं दिनांक 01.04.2023 को 8,23,426/— रूपये) की स्वीकृति प्रदान की थी और** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी कृष्ण बारासा ने अपनी अचल सम्पत्ति **वार्ड नम्बर 18, वाल्मिकी बस्ती, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर—335062,** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 15.05.2024 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार समस्त अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो गई है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों / जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:43:04 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी कृष्ण बारासा की अचल सम्पत्ति वार्ड नम्बर 18, वाल्मिकी बस्ती, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर–335062, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का सम्बन्ध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 28.05.2024 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 28.05.2024 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अ**प्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 31.05.2024 को भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार** अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी कृष्ण बारासा द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:43:04 IST
Reason: SelfAttested

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पीरामल केपीटल एंड हाउसिंग लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी **द्वारा प्रार्थी**

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई सम्पत्ति वार्ड नम्बर 18, वाल्मिकी बस्ती, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर–335062, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:43:04 IST
Reason: SelfAttested